

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या
4677/2024

सेठु @ अंग्रेज पुत्र स्वर्गीय श्री सीताराम, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम बरदा
की ढाणी, बुबानी, थाना गागल, जिला अजमेर (राज.) (वर्तमान में अभियुक्त केन्द्रित
जेल, अजमेर में बंद)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य राजस्थान, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री गोविंद उमाध्याय, अधिवक्ता
प्रतिवादी(यों) के लिए	:	श्री संजीव महला, पी.पी. श्री संजय गंगवार, अधिवक्ता शिकायतकर्ता की ओर से

माननीय श्री न्यायाधीश उमा शंकर व्यास

निर्णय / आदेश

रिपोर्टेबल

03/05/2024

1. प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत
प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत, पुलिस थाना गागल,

जिला अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **224/22**, अपराध अंतर्गत धारा **147, 323, 341, 325, 307, 427**, एवं स्पष्टीकरणार्थ धारा **149** भारतीय दंड संहिता में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी / अभियुक्त के अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है, दिनांक 30.03.24 से अभिरक्षा में है, बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

3. लोक अभियोजक व अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा निवेदन किया कि अभियुक्त के द्वारा अनुचित रूप से सेशन न्यायालय, अजमेर से जमानत सुविधा हेतु उपस्थिति में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद लंबे समय तक अभियुक्त फरार रहा, विचारण अनावश्यक रूप से विलंबित हुआ है, अभियुक्त इस घटना का मुख्य आरोपी है, आहत को प्राणघातक चोट पहुंचाने का आरोप इसी अभियुक्त पर है। अंत में अपराध की गंभीरता आदि को देखते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

4. दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया। सुविधा की दृष्टि से इस प्रकरण के अनुसार वृत्तांत निम्नानुसार है:-

दिनांक	क्रम अनुसार सुरागत तथ्य / वृत्तांत
23-10-22	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 224/23 पुलिस थाना गागल, अजमेर; आहत पप्पू सिंह के पर्चा बयान के आधार पर अभियुक्तगण सेठु उर्फ हड्डी, सेठु उर्फ अंग्रेश आदि के विरुद्ध पंजीबद्ध।
21-11-22	अभियुक्त सेठु उर्फ हड्डी गिरफ्तार।
22-11-22	अभियुक्त सेठु उर्फ हड्डी का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा खारिज।
24-11-22	अभियुक्त सेठु उर्फ हड्डी का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता सत्र न्यायालय, अजमेर द्वारा खारिज।
25-11-22	अभियुक्त सेठु उर्फ अंग्रजे गिरफ्तारी।
16-12-22	अभियुक्त सेठु उर्फ हड्डी का जमानत आवेदन एस.बी. क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नं. 17430/22 उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार।
17-12-22	अभियुक्त सेठु उर्फ अंग्रजे का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता, मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा खारिज।
19-12-22	अभियुक्त सेठु उर्फ अंग्रजे का जमानत आवेदन संख्या 1247/22 सत्र न्यायालय के लिंक न्यायाधीश द्वारा अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत स्वीकार।
06-07-23	परिवादी पक्ष का आवेदन अंतर्गत धारा 439(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष-3 अजमेर द्वारा स्वीकार कर दिनांक 19.12.22 को अभियुक्त सेठु उर्फ अंग्रजे को सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी जमानत

	सुविधा निरस्त।
30-03-24	अभियुक्त सेठु उर्फ अंग्रेज गिरफ्तार किया गया।
09-04-24	अभियुक्त सेठु उर्फ अंग्रेज का तिहरी जमानत आवेदन संख्या 27/24 अंतर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष-3 अजमेर द्वारा अस्वीकार किया गया।

5. प्रार्थी / अभियुक्त सेठु उर्फ अंग्रेज पर यह आरोप है कि उसने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत के साथ मारपीट की तथा उसके द्वारा ही आहत पप्पू सिंह के सिर में घातक हथियारों से प्राणघातक चोट पहुँचाई। आहत पप्पू सिंह के पर्चा बयान तथा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन व अन्य गवाहों के कथन भी इसी अनुरूप रहे हैं।

6. अन्य सह अभियुक्त सेठु उर्फ हड़डी का जमानत आवेदन सत्र न्यायालय, अजमेर द्वारा खारिज किया गया, जिस पर उसकी ओर इस न्यायालय में प्रस्तुत जमानत आवेदन उपलब्ध सामग्री के आधार पर दिनांक 16.12.22 को स्वीकार कर निम्न अभिमत पारित किया गया:-

“प्रकरण में प्राणघातक चोटें सेठु उर्फ अंग्रेज द्वारा कारित किये जाने का आरोप है, जिससे प्रार्थी का मामला भिन्न है।”

7. प्रार्थी / अभियुक्त सेठु उर्फ अंग्रेज का आवेदन अंतर्गत धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता, दिनांक 17.12.22 को अस्वीकार किया गया। उसके पश्चात प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत आवेदन

सत्र न्यायालय, अजमेर में प्रस्तुत किया। नियमित पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में लिंक अधिकारी द्वारा न्यायिक दृष्टांत खेत सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2021 एससीसी ऑनलाइन राजस्थान 4096) को आधार बनाते हुए तथ्यों तथा इस न्यायालय के आदेश के विपरीत यह निर्णय दिया कि आहत पप्पू सिंह को प्राणघातक चोटें पहुँचाने का आरोप अभियुक्त सेठु उर्फ हड्डी पर था, जिसकी जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। फलतः उससे वर्तमान प्रार्थी / अभियुक्त सेठु उर्फ अंग्रेज का मामला भिन्न नहीं होता। बताते हुए अभियुक्त को दिनांक 19.12.22 के आदेश द्वारा जमानत की सुविधा दी गई।

8. परिवादी पक्ष की ओर से धारा 439(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत निरस्त किये जाने हेतु आवेदन सत्र न्यायालय, अजमेर में प्रस्तुत किया। यह आवेदन न्यायालय अपर सत्र न्यायालय, कक्ष-3, अजमेर के अंतर्गत किया गया जब कि पूर्व में जमानत स्वीकार करने वाले पीठासीन अधिकारी उसी न्यायक्षेत्र में कार्यरत थे, सत्र न्यायालय द्वारा अन्य पीठासीन अधिकारी को प्रकरण अंतर्गत किया जाना सामान्य प्रक्रिया से हट कर था। न्यायालय अपर सत्र न्यायालय, कक्ष-3, अजमेर द्वारा धारा 439(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता का आवेदन दिनांक 06.07.23 को स्वीकार करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि आहत पर प्राणघातक चोट पहुँचाने का आरोप सेठु उर्फ अंग्रेज पर है, अतः ऐसी स्थिति में सेठु उर्फ हड्डी के समरूप उसका मामला नहीं है। यह भी निष्कर्ष दिया कि

निर्णय खेतसिंह बनाम राजस्थान राज्य (पूर्ववर्ती) वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है, अंततः दिनांक 06.07.23 को जो जमानत की सुविधा दी गयी थी उसे निरस्त किया गया।

9. न्यायिक दृष्टांत खेत सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2021 एससीसी ऑनलाइन राजस्थान 4096) का सुपसंगत पैरा नीचे उद्धृत किया जा रहा है:—

“सीख सत्र न्यायाधीश क्रमांक-1, बाड़मेर द्वारा याचिकाकर्ताओं को जमानत देने से इनकार करना, जबकि इसी मामले में समान रूप से स्थित अभियुक्त को जमानत दी जा चुकी है, ऐसी प्रवृत्ति की निंदा की जाती है। ऐसी प्रवृत्ति न केवल इस न्यायालय के आदेश का पूर्णतः अनादर करने के समान है, बल्कि इससे इस न्यायालय पर अनावश्यक जमानत अर्जियों का बोझ भी बढ़ता है और अभियुक्तों की हिरासत भी बिना किसी न्यायसंगत कारण के लंबी होती है। अतः राजस्थान राज्य की सभी अधीनस्थ न्यायालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि जब इसी तरह की स्थिति वाले सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी गई हो और अन्य अभियुक्तों की जमानत आवेदन पर विचार हो, तो इस न्यायालय के आदेशों को केवल संदर्भित ही नहीं, बल्कि उनका पालन भी किया जाए; जब तक कोई असाधारण/विशिष्ट भिन्नता न हो।”

10. उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि जब तक कोई अपवादस्वरूप या भिन्नकारी परिस्थिति न हो, तब तक समान रूप से स्थित अभियुक्तगण में से यदि किसी एक को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार की जा चुकी है, तो

अन्य समान रूप से स्थित अभियुक्त को भी सत्र न्यायालय द्वारा जमानत सुविधा प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

11. कुछ मामलों में यह देखा गया है कि गंभीर अपराध के एक ही मामले में, जिन अभियुक्तों के विरुद्ध हलके आरोप हैं अथवा भूमिका कमतर है, उनको पुलिस द्वारा प्रथम चरण में गिरफ्तार किया जाता है तथा उनकी जमानत उच्च न्यायालय से होने के उपरांत मुख्य अभियुक्त/गण, जिनके विरुद्ध गंभीर व प्रमुख आरोप हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तथा 'खेतसिंह बनाम राजस्थान राज्य' (पूर्वोक्त) के निर्णय के आधार पर ऐसे अभियुक्त मजिस्ट्रेट/सत्र न्यायालय से अनुचित रूप से जमानत सुविधा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पुलिस व अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य गढ़जोड़ अथवा मिलावटन किसी भी रूप में आपराधिक न्याय प्रशासन के दृष्टि से अभियुक्त के साथ-साथ पीड़ित पक्ष का हित, निष्पक्ष अनुसंधान, निष्पक्ष व शीघ्र विचारण के तथ्य को भी विचार में लिया जाना अत्यावश्यक है। मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी को जानबूझकर टालने से वे उनके बाद में गिरफ्तार कर बार-बार पूरक आरोप पत्र पेश होने से विचारण विलंबित होता है। गवाहान बार-बार तलब व परीक्षित होने से प्रताड़ित होते हैं तथा ऐसे अभियुक्त बाहर रहकर गवाहान को डराने-धमकाने अथवा प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं।

12. कुछ मामलों में यह पाया गया है कि जिन अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध में कम गंभीर आरोप हैं, उन्हें जमानत सुविधा प्राप्त होने के उपरांत, जिन

अभियुक्तगण की मुख्य भूमिका अथवा गंभीर आरोप हैं और पूर्ववर्ती अभियुक्त से उनका मामला पूर्णतः भिन्न है, उसके बावजूद सत्र न्यायालय द्वारा 'खेतसिंह बनाम राजस्थान राज्य (पूर्वोक्त)' को गलत रूप से लागू कर व उसे आधार बनाते हुए अपात्र व्यक्तियों को जमानत सुविधा प्रदान की गयी है, जिसे इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर निरस्त भी किया गया है। इस प्रवृत्ति से इस न्यायालय का अनावश्यक कार्यभार बढ़ता है, यह प्रवृत्ति उचित नहीं है।

13. वर्तमान मामले में सह अभियुक्त सैटू उर्फ हट्डी दिनांक 21.11.22 को तथा अभियुक्त प्रार्थी सैटू उर्फ अंजन् दिनांक 25.11.22 को गिरफ्तार हुए हैं। सैटू उर्फ हट्डी द्वारा तत्काल बिना किसी विवाद के जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे मजिस्ट्रेट एवं सत्र न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक 22.11.22 और 24.11.22 को अस्वीकार किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 16.12.22 को इस न्यायालय ने उसे जमानत सुविधा दी। अभियुक्त सैटू उर्फ अंजन् के विरुद्ध तुलनात्मक रूप से गंभीर और सीधे आरोप थे तथा योजनाबद्ध तरीके से हल्के आरोप एवं भूमिका से संबंधित अभियुक्त की जमानत सुविधा प्राप्त होने तक करीब 20 दिन तक उसके द्वारा कोई जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। सामान्यतः कोई अभियुक्त कारागार में निरंतर नहीं रहना चाहता है, लेकिन वर्तमान मामले में 'खेतसिंह बनाम राजस्थान राज्य' के निर्णय का दुरुपयोग करने की योजना के तहत तत्काल कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। सह अभियुक्त सैटू उर्फ हट्डी को इस न्यायालय से जमानत सुविधा प्राप्त होने के अगले ही दिन, अर्थात् दिनांक

17.12.22 को मुख्य अभियुक्त सैदू उर्फ अंजन् द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो अस्वीकार हुआ और उसके दो दिन बाद अर्थात् दिनांक 19.12.22 को अभियुक्त सत्र न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर जमानत सुविधा प्राप्त करने में सफल रहा। अभियुक्त पक्ष कुटिलतापूर्ण प्रयास कर रहा था। माध्यम से ऐसा प्रयास किया जा सकता है, लेकिन न्यायालयों को सचेत, सजग और सतर्क रहना आवश्यक है।

14. उपरोक्त विवेचन व पृष्ठभूमि में सभी मजिस्ट्रेट एवं सत्र न्यायालयों से यह अपेक्षित है कि 'खेत सिंह बनाम राजस्थान राज्य (पूर्वोक्त)' के निर्णय का अनुसरण करते समय पूर्व में जिस अभियुक्त को जमानत सुविधा दी गई है, उसके तथा पश्चातवर्ती अभियुक्त के कृत्य, भूमिका, सहभागिता, प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य साक्ष्य आदि के संबंध में भले ही संक्षिप्त उल्लेख हो, लेकिन उसका उल्लेख आवश्यक रूप से करते हुए सुसंगत आदेश पारित किया जाए।

15. इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत “श्रीमान बनाम राजस्थान राज्य (2023(3) आर एल डब्ल्यू 1809) = एमए एनयू/आरएच /1061/2023” भी सुसंगत है, जिसमें खेतसिंह बनाम राजस्थान राज्य (पूर्वोक्त) के निर्णय के संदर्भ में संपूर्ण तो नहीं, किंतु उदाहरण स्वरूप कुछ विशिष्ट अथवा अपवादिक परिस्थितियों को बताया गया है। इस निर्णय का पैरा संख्या 9 सुसंगत है, जो निम्नानुसार है :—

“9. अभियुक्त/अभियुक्तगण जिनके द्वारा अनुसंधान के दौरान अनुपस्थित रहते हुए अथवा पलायन करते हुए अथवा लंबे समय बाद अथक प्रयासों से गिरफ्तार हुए हैं तथा जिनकी अभिरक्षा की अवधि भी तुलनात्मक रूप से कम है, उनका मामला उन अभियुक्त/अभियुक्तगण के समान अथवा समतुल्य नहीं माना जा सकता, जिनके द्वारा अनुसंधान/न्यायिक कार्यवाही में सहयोग किया गया है तथा प्रारंभिक अवस्था में ही गिरफ्तार हो चुके हैं और पर्याप्त अवधि से अभिरक्षा में हैं। पूर्ववर्ती श्रेणी के अभियुक्त/गण के विलंबकारी आचरण से अनुसंधान निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं हो पाता है, सुसंगत साक्ष्य तथा सामग्री भी उपलब्ध नहीं हो पाती है तथा अनुसंधान विपरीत रूप से प्रभावित होता है और विचारण के मामले भी विलंब होने पर विचारण विपरीत रूप से प्रभावित होता है। अतः ऐसी स्थिति में, उनके विरुद्ध आरोप भले ही पश्चातवर्ती श्रेणी के अभियुक्त/गण के समान हों, परंतु उपरोक्त परिस्थितियाँ उचित मामले में अपवादिक व विशिष्टकारी परिस्थितियाँ मानी जा सकती हैं और पूर्ववर्ती श्रेणी के अभियुक्त खेतसिंह बनाम राजस्थान राज्य के उपर्युक्त न्यायिक निर्णय के अनुसार समान्ता के आधार पर जमानत का दावा अधिकार स्वरूप नहीं कर सकते।

16. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी-अभियुक्त सैरू उर्फ अंजेज का आवेदन मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.22 को अस्वीकार किया गया था। इस आदेश में उसके विरुद्ध तीन आपराधिक प्रकरण निम्नानुसार लंबित होने का उल्लेख है

क्र	आरोपी का नाम	क्र	एफआईआर संख्या व धारा	नाम थाना	परिणाम/नतीजा (दिनांक व धारा)	वर्तमान स्थिति
1	सैरू उर्फ अंजेज	1	मु.नं. 168/20, दिनांक 22.10.22, धारा 341, 323, 392, 354 भादंसं	गगल	सी.ए स.17 9/20 , दिनांक 12.12 .22, धारा 341, 323, 34 भादंसं	विचारधीन न्यायालय
2		2	मु.नं. 91/20, दिनांक	नसीरा बाद	दि. 31.0	विचारधीन

			16.03.22,धा रा 4/6 राज. ध्वनि प्रदूषण अधि.	सदर	5.22, धारा 4/6 राज. ध्वनि प्रदूष ण अधि.	न्याया लय
3		3	मु.नं. 24/20, दिनांक 27.01.20,धा रा 457, 380 भादंसं		सी.ए स.16 7/20 , दिनां क 30.1 2.20, धारा 457, 380 भादंसं	विचा राधीन न्याया लय

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आसा मोहम्मद बनाम शिवराज सिंह (2012) 9 एससीसी 446 एवं नीलू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 15 एससीसी 442 में यह अभिनिर्दिष्ट किया गया है कि जमानत आवेदन के निस्तारण के समय अभियुक्त/गण का आपराधिक रिकॉर्ड, चरित्र व आचरण भी अन्य परिस्थितियों के साथ सुसंगत है तथा उस पर विचार किया जाना आवश्यक

है। आसा मोहम्मद बनाम शिवराज सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में स्वयं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड के विशद विवरण के साथ तालिका के रूप में उल्लिखित किया गया है। इसी अनुक्रम में इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा जुगल बनाम राजस्थान राज्य (2020) 4 आरएलडब्ल्यू 3386 में यह अभिनीत किया गया है कि अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड जमानत के मामले में सुसंगत व विचार योग्य है तथा सभी सत्र/मजिस्ट्रेट न्यायालयों को इसे तालिका के रूप में आदेश में उल्लिखित किए जाने का आवश्यक निर्देश दिया गया है।

18. जहाँ तक प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत सुविधा दिए जाने का प्रश्न है, उसके द्वारा आहत को प्राणघातक चोटें पहुँचायी गयी हैं। उसे संबंधित सत्र न्यायालय द्वारा अनुचित रूप से जमानत सुविधा दी गयी थी, जिसे कालांतर में उसकी उपस्थिति में दिनांक 06.07.23 को निरस्त कर अभियुक्त को 07 दिन उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन अभियुक्त ने उपरोक्त निर्देशों की पालना नहीं की और अंततः करीब 09 माह बाद, दिनांक 30.03.24 को उसे गिरफ्तारी वारंट से गिरफ्तार कर प्रस्तुत किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अभियुक्त का आचरण पलायनवादी व विचारण में असहयोगकारी रहने का रहा है, जबकि ऐसे गंभीर मामलों में निष्पक्ष व शीघ्र विचारण होना अपेक्षित है।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'बुजमनी देवी बनाम पप्पू कुमार (2022) 4 एससीसी 497' के मामले में भी धारा 307 भारतीय दंड संहिता के

मामले में अभियुक्त करीब 07 माह तक फरार रहा था, अन्य कारणों पर विचार करने के उपरांत ऐसे अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्राप्त करने का पात्र नहीं माना गया था। आहत के विचारण न्यायालय के समक्ष बयान होना शेष उपस्थिति होगी, यह उसकी उपस्थिति आदेश से संदिग्ध है, वह विचारण को लम्बित व बाधित कर सकता है।

20. उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों को विचार में लेते हुए एवं प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यानुक स्थिति, अपराध की गंभीरता, उसके आपराधिक रिकॉर्ड तथा पूर्व में अनुचित रूप से जमानत प्राप्त करने के कुत्सित प्रयास आदि को ध्यान में रखते हुए गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र इस स्टेज पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

21. परिणामतः, प्रार्थी-अभियुक्त सैरू उर्फ अंजेज की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

22. विचारण न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त पक्ष द्वारा इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से यथासंभव तीन माह में आहत के बयान प्राथमिकता के आधार पर लेखबद्ध करें। तीन माह बाद अथवा उससे पूर्व आहत के बयान होने की स्थिति में अभियुक्त की ओर से यदि कोई नवीन आवेदन पेश होता है तो उस पर नये सिरे से सुनकर विचार किया जाएगा।

23. न्यायिक दृष्टांत “जुगल बनाम राजस्थान राज्य (2020) 4 आर एल डब्ल्यू 3386” में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार सत्र न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि वे अपने आदेश में अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड का उल्लेख कर उसे विचार में लेते, परंतु दिनांक 19.12.22 को जमानत सुविधा देते समय अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड का उल्लेख तक नहीं किया गया है, जबकि उनके समक्ष इस बाबत पर्याप्त सामग्री थी।

24. बहस के दौरान इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा “गगनदीप उर्फ गोल्डी बनाम राजस्थान राज्य (2021) 3 आर एल डब्ल्यू 2027” में पारित निर्णय दिनांक 18.06.21 की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया। यह मामला मात्र अंतरिम/अस्थायी जमानत आवेदननों से संबंधित था, जिसमें अलग-अलग प्रयोजनों को देखते हुए अभियुक्त के आचरण, परिवारजनों की संख्या, स्थिति, कारागृह में उसका व्यवहार, चिकित्सा संबंधी आवश्यकता, पूर्व में अंतिम जमानत सुविधा कितनी बार प्राप्त की गयी तथा उसका दुरुपयोग तो नहीं किया गया आदि तथ्यों के संबंध में जानकारी पुलिस विभाग, कारागार, ग्राम सेवक/पटवारी आदि से प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालयों से यह अपेक्षा की गई कि इनका समावेश आदेश में किया जाए। उच्च न्यायालय सहित विभिन्न विभागों को विस्तृत निर्देश देते हुए एक तंत्र व प्रणाली अपनाये जाने का निर्देश दिया गया था, जिसके विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस एल पी (क्रिमिनल) 11675, 11676/22 राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम राजस्थान

राज्य के माध्यम से चुनौती दी गयी, जिस पर आदेश दिनांक 20.02.23 के माध्यम से उपरोक्त निर्देशों को समाप्त (एरज) किया गया।

25. स्पष्ट है कि “गगनदीप उर्फ गोल्डी बनाम राजस्थान राज्य (पूर्वोक्त)” का निर्णय अंतरिम/अस्थायी जमानत आवेदन से संबंधित होकर वहीं तक सीमित था, जबकि “जुगल बनाम राजस्थान राज्य” में अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में जो निर्देश दिए गए थे, वे नियमित जमानत/अग्रिम जमानत के आवेदनों के संबंध में थे। यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस बिंदु पर पारित पूर्वोक्त निर्णय की भावना के अनुरूप है तथा इस निर्णय को उच्च न्यायालय सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है और न ही यह निर्णय अपास्त (ओवररूल) हुआ है।

26. उपरोक्त विवेचन एवं विधिक व्यवस्था के अनुसार यह स्पष्ट है कि “गगनदीप उर्फ गोल्डी बनाम राजस्थान राज्य” में दिए गए निर्देशों से संबंधित निर्णय अपास्त होने के बावजूद “जुगल बनाम राजस्थान राज्य” का निर्णय पूर्णतः प्रभावी एवं बाध्यकारी है। “जुगल बनाम राजस्थान राज्य (पूर्वोक्त)” का निर्णय इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को सूचित/प्रसारित किया गया है अथवा नहीं, इस तथ्य की जानकारी वर्तमान में इस न्यायालय को उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह मान लिया जाय कि उपरोक्त निर्णय, आपराधिक रिकॉर्ड से सम्बंधित व प्रविष्टियों सहित, सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अक्षरशः व आवश्यक रूप से आबद्धकर होकर उसका बंधनकारी प्रभाव है।

27. जुगल बनाम राजस्थान राज्य (पूर्वोक्त)'' में पारित निर्देशों के बावजूद, दिनांक 19.12.22 को सत्र न्यायालय, अजमेर द्वारा इस जमानत आवेदन का निस्तारण करते समय प्रार्थी-अभियुक्त सैरू उर्फ अंजेज के आपराधिक रिकॉर्ड का उल्लेख व विचार आदेश में नहीं किया गया। यह स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के न्यायिक आदेशों की अवहेलना व अनादर है, जो गंभीर विषय है।

28. इस न्यायालय द्वारा सैरू उर्फ हट्टी के जमानत आदेश दिनांक 16.11.22 में स्पष्ट रूप से निष्कर्ष दिया गया था कि आहत पप्पू के प्राणघातक चोटें सैरू उर्फ अंजेज द्वारा ही पहुँचायी गयी थीं और इसी अनुसार अलग-अलग लेख में तथ्य रखे हैं, लेकिन दिनांक 19.12.22 को सत्र न्यायालय, अजमेर के लिंक अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.22 की पूरी तरह अनदेखी व अनादर करते हुए तथा उसके व तथ्यों के विपरीत जाकर निष्कर्ष देते हुए प्रार्थी-अभियुक्त सैरू उर्फ अंजेज को जमानत सुविधा दी गयी। साथ ही, तत्समय खेतसिंह बनाम राजस्थान राज्य (पूर्वोक्त) के निर्णय की गलत व्याख्या कर व प्रयोजन नहीं होने के बावजूद अभियुक्त को अनुचित रूप से जमानत सुविधा दी गयी है। संबंधित पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध अन्य कोई विपरीत बात नहीं भी मानी जाए, तब भी उनका यह कृत्य न्यायिक अनुशासनहीनता, लापरवाही तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक व बाध्यकारी आदेशों का अनादर व उपेक्षा करने का रहा है, जो गंभीर विषय है। अतः ऐसी स्थिति में इस आदेश की प्रति अवलोकनार्थ माननीय मुख्य

न्यायाधीपति महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रखे जाने का निर्देश
रजिस्ट्रार जनरल को दिया जाता है।

29. रजिस्ट्रार (न्यायिक) को इस आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय
तथा सत्र न्यायाधीश, अजमेर को भेजित करने का आदेश दिया जाता है।

(उमा शंकर व्यास),जे

मुरारी लाल शर्मा /एस-165

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate